

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं०- 57/2015

हेमंत कुमार शर्मा, पिता-श्री दिनेश्वर शर्मा, सा०-बालमुकुन्द दास के मठियाँ, पो+थाना-माँझी, सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	<p>यह वाद पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 1546 गो०/, दिनांक 03.04.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक हेमंत कुमार शर्मा, पिता श्री दिनेश्वर शर्मा, सा०-बालमुकुन्द दास के मठिया, पो०+थाना- माँझी, जिला-सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। इस न्यायालय के ज्ञापांक 514, दिनांक 04.08.2015 के द्वारा आवेदक को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है।</p> <p>आवेदक से हाजरी एवं आवेदन प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे स्थानीय प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता हैं। उन्हें जिले के अंदर घटित घटनाओं के प्रकाशन हेतु रात दिन क्षेत्र में निकलना पड़ता है, जिस वजह से उनके जान माल पर हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 1546 गो०/, दिनांक 03.04.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, माँझी के ज्ञापांक डी०आर० 413, दिनांक 03.05.2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को उनकी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।</p> <p>थानाध्यक्ष, माँझी के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की घटना के घटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है।</p> <p>अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र, दिनांक</p>	

31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक हेमंत कुमार शर्मा, पिता श्री दिनेश्वर शर्मा, सा0-बालमुकुन्द दास के मठिया, पो0+थाना- माँझी, जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.1650/व्या0, दिनांक.22.8.15

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, सारण, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15